

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : यो०मो०-3-कार्य-10-24/2026- 1749

पटना, दिनांक : 17/07/26

आदेश

दिनांक 17.06.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-24 के रूप में जल संसाधन विभाग के परंपरागत निरीक्षण भवनों का आधुनिक गेस्ट हाउस में रूपांतरण की नीति, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गयी। इस क्रम में जल संसाधन विभाग परिक्षेत्राधीन सभी निरीक्षण भवनों को आधुनिक गेस्ट हाउस में रूपांतरित किये जाने हेतु DBOM (Design-Build-Operate-Maintain) मॉडल के तहत ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदायें प्राप्त की जानी है। चूंकि उक्त निविदायें जल संसाधन विभाग द्वारा सामान्यतः आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं से भिन्न है, अतः इन निविदाओं के निविदा अभिलेख की समीक्षा करने, निविदा आमंत्रित करने तथा निविदादाताओं से प्राप्त तकनीकी एवं वित्तीय बीड के निष्पादन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करने की आवश्यकता है।

2. जल संसाधन विभाग परिक्षेत्राधीन सभी 217 अदद निरीक्षण भवनों को DBOM (Design-Build-Operate-Maintain) मॉडल के तहत आधुनिक गेस्ट हाउस में रूपांतरण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल द्वारा की जायेगी तथा निविदा में प्राप्त तकनीकी एवं वित्तीय बीड (तुलनात्मक बीड सहित) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद के माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। निविदा निष्पादन के उपरान्त सफल निविदादाता द्वारा निरीक्षण भवन से संबंधित प्रमंडल के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
3. जल संसाधन विभाग परिक्षेत्राधीन सभी 217 अदद निरीक्षण भवनों को DBOM (Design-Build-Operate-Maintain) मॉडल के तहत आधुनिक गेस्ट हाउस में रूपांतरण हेतु तैयार निविदा अभिलेख की समीक्षा निमित्त निम्नरूपेण समिति का गठन किया जाता है :-

i	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन	:	अध्यक्ष
ii	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण	:	सदस्य
iii	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना	:	सदस्य
iv	अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-03	:	सदस्य सचिव

क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन निरीक्षण भवन एवं इसके आस-पास के परिसर का वास्तविक क्षेत्रफल तथा इसका नक्शा निविदा अभिलेख में संलग्न किये जाने हेतु उपलब्ध करायेंगे।



4. जल संसाधन विभाग परिक्षेत्राधीन सभी 217 अदद निरीक्षण भवनों को DBOM (Design-Build-Operate-Maintain) मॉडल के तहत आधुनिक गेस्ट हाउस में रूपांतरण निमित्त आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड की जाँच एवं इसके निष्पादन हेतु निम्नरूपेण तकनीकी बीड समीक्षा समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| i | अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन | : | अध्यक्ष |
| ii | अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण | : | सदस्य |
| iii | मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद | : | सदस्य |
| iv | अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-03 | : | सदस्य सचिव |

5. तकनीकी बीड समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बीड पर निर्णय, तदोपरांत वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु निम्नरूपेण निविदा आवंटन समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| i | विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव | : | अध्यक्ष |
| ii | संबंधित अभियंता प्रमुख | : | सदस्य |
| iii | संबंधित प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता | : | सदस्य |
| iv | विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार | : | सदस्य |
| v | अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-03 | : | सदस्य सचिव |

6. निविदा के तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के संबंध में प्राप्त परिवादों पर विचार हेतु निम्नरूपेण परिवाद समीक्षा समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| i | अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) | : | अध्यक्ष |
| ii | अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02 | : | सदस्य |
| iii | अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-03 | : | सदस्य सचिव |

तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड से संबंधित परिवाद पर परिवाद समीक्षा समिति के सुझाव के पश्चात् विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा समीक्षोपरांत माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

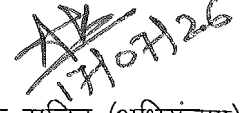
8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक :- यो०मो०-3-कार्य-10-24/2026- 1749

पटना, दिनांक :- 17/07/26

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 17/07/26

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक :- यो०मो०-3-कार्य-10-24/2026- 1749

पटना, दिनांक :- 17/07/26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 17/07/26

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक :- यो०मो०-3-कार्य-10-24/2026- 1749

पटना, दिनांक :- 17/07/26

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन), बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 17/07/26

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक :- यो०मो०-3-कार्य-10-24/2026- 1749

पटना, दिनांक :- 17/07/26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल करने एवं विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 17/07/26

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)